

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर अनुभाग) विभाग

क्रमांक प ४ (१०) एफडी/ टेक्स/२००२

जयपुर, दिनांक १२ मई २००४

आदेश

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, १९६४ की धारा ५२ के अन्तर्गत अधिग्रहित इकाईयों की परिसम्पत्तियों के बेचान से प्राप्त शुद्ध राशि वाणिज्यिक, कर विभाग एवं ऊर्जा विभाग के अधीन राजकीय कम्पनियों यथा विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर के बीच ७०:३० के अनुपात में नीचे उल्लेखित शर्तों के अनुसार वितरित की जायेगी।

१. यदि वितरण कम्पनी का बकाया प्राप्त शुद्ध राशि के ३० प्रतिशत से कम है तो बकाया राशि का ही कम्पनी को भुगतान किया जावेगा।
२. किसी भी स्थिति में ऊर्जा विभाग के अधीन कम्पनियों को ३० प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
३. यदि ऊर्जा विभाग के अधीन कम्पनियों की कुल देय राशि ३० प्रतिशत से अधिक तथा वाणिज्यिक कर विभाग को देय कुल राशि ७० प्रतिशत से कम होगी, ऐसी परिस्थिति में वाणिज्यिक कर विभाग के दायित्वों एवं ऊर्जा विभाग की कम्पनियों को ३० प्रतिशत के भुगतान के बाद शेष रही राशि राज्य सरकार के अन्य विभागों यथा यातायात, जलदाय, भूमि एवं भवन कर, एक्ससाईज, उद्योग इत्यादि को भुगतान हेतु उपलब्ध रहेगी।
४. अधिग्रहित इकाईयों के विरुद्ध ऊर्जा विभाग की कम्पनियों की बकाया भार राशि (दण्डनीय ब्याज एवं शास्ति) को इस आदेश के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा। विद्यमान नियमों के अंतर्गत ऊर्जा विभाग अपनी कुल ब्याज राशि (शेष बकाया राशि) बाकीदार से वसूल कर सकेंगे।
५. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-४(१०) एफ,डी/टेक्स/२००२ दिनांक ५.४.२००२ द्वारा ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित परिसम्पत्तियों के बेचान पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।
६. बेची गई परिसम्पत्तियों के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग दो अलग-अलग भागों में बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त करेगा। प्रथम बैंक वाणिज्यिक कर विभाग के पक्ष में तथा दितीय बैंक ऊर्जा विभाग के अधीन कम्पनियों के पक्ष में (ऊपर वर्णित शर्तों के अनुसार) प्राप्त करेगा।  
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

ह०

(अजिताभ शर्मा)

शासन उप सचिव, वित्त (कर)

nmw



## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक - अविनिनिलि/मु0अ0(वाणिज्य)/अ0अ0(1)/पत्रांक / प्रे0 1995 दिनांक 3/8/2004

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (परि. एवं स.), अविनिनिलि, अजमेर
2. उपमुख्य अभियन्ता (परि. एवं स.), अविनिनिलि, झुंनझुनु/उदयपुर
3. वित्तिय सलाहकार, अविनिनिलि, अजमेर
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अविनिनिलि, अजमेर
5. सचिव (प्रशासन), अविनिनिलि, अजमेर
6. अधीक्षण अभियन्ता (परि. एवं स.), अविनिनिलि, \_\_\_\_\_  
..... प्रतिलिपीयां अधिनस्थ अधिकारियों में वितरण हेतु सलग्न है ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (परि एवं स.), योजना /अविनिनिलि, अजमेर /उदयपुर
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अविनिनिलि, अजमेर
9. अधिशाषी अभियन्ता ( ) अविनिनिलि, अजमेर
10. उपसचिव कार्मिक एवं प्रशासन अजमेर
11. कम्पनी सचिव अविनिनिलि, अजमेर
12. वरि/लेखा अधिकारी ( ) अविनिनिलि, अजमेर
13. जन सम्पर्क अधिकारी अविनिनिलि, अजमेर
14. निजी सचिव प्रबन्ध निर्देशक अविनिनिलि, अजमेर

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि०

अजमेर

पत्रांक सं० 6432 दिनांक 6/8/04

पत्रांक सं० 6432

पत्रांक सं० 6432

(के. सी. मोदी)  
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

Office of The Chief Engineer  
(Commercial)  
R.R. No. 4058 Date. 9-8-04  
SE (M&P)/XEN/(C-III).....  
Sr AO/TAPA  
TA 7/8  
CE (Comm.)

Amc  
n p  
Dm  
9/8